2019/00126

Form No. III

# फर्द अहकाम

(नियम 26)

## अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी लूनकरनसर

ग्रामवासी मलकीसर **बनाम** सरकार

किस्म मुकदमाः– अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए एवं राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 सामान्य शर्तें 1955 की शर्त 8(2) नं. ......125...... सन 2019

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 13.08.19 | आज यह पत्रावली तहसीलदार राजस्व लूनकरनसर से उनके पत्रांक 9254 दिनांक 13.08.2019 के द्वारा चक 11 एवं 12 एमकेडी के मु.नं. 162/31 के कि.नं. 21 ता 25 में रास्ते की सृजन की राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 के तहत राज. उपनि. (सामान्य उपनिवेशन) 1955 की शर्त 8(2) के तहत रास्ता स्वीकृत करने की अनुशंषा प्राप्त होने पर मूरतीब हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जावे। इस पत्रावली से संबंधित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि ग्रामवासी मलकीसर द्वारा प्रार्थना पत्र तहसीलदार लूनकरनसर के समक्ष इस आशय का पेश किया कि चक 11 एमकेडी के मु.नं. 162/39 के कि.नं. 21 ता 25 रास्ता स्वीकृत है। किंतु उमाराम पुत्र श्रवणराम मेघवाल निवासी मलकीसर छोटा ने नाजायज बन्द कर दिया है। जिससे आम काश्तकारों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस तहसीलदार राजस्व लूनकरनसर ने जांच कर अपनी रिपोर्ट में रास्ता स्वीकृत करने की अनुशंषा की साथ में प्रस्ताव रास्ता तैयार कर पेश किया जिसके अनुसार चक 11 एमकेडी में मु.नं. 162/31 के कि.नं. 23 ता 25 एवं चक 12 एमकेडी में इसी मुरब्बा के कि.नं. 21, 22 में रास्ते का कटान नहीं होने के कारण नया रास्ता कटान करवाना है। चूंकि यह मार्ग 30 सालों से प्रचलित रास्ते एवं खेत रास्ता हेतु काम में आ रहा था। जिसे दिनांक 08.08.2019 को खातेदार उमाराम पुत्र श्रवणराम द्वारा अपने खेत में बंद कर दिया था। जिसे आम लोगों एवं विद्यार्थियों को आवागमन में दिक्कत हो रही है। राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की सामान्य शर्तें 1955 की शर्त 8(2) के अनुसार सरकार या सामान्य जनता के लिए रास्ते अधिकार का सृजन करने या आरक्षित करने का प्रावधान अधिसूचना एफ4(5)उपनि./2006 दिनांक 11.05.2012 द्वारा किया गया है। इसी क्रम में आगे और निवेदन किया कि यह रास्ता मुरब्बा बंदी एवं किला बंदी में है और इसी नियम के अन्तर्गत आता है। यह रास्ता चक 12 एमकेडी के मु.नं. 142/7 से (रेल्वे लाईन) से शुरू होकर 142/13, 142/23, 142/22, 142/30, 142/38, 142/46, 142/54, 142/52, 162/6, 162/14, 162/22, 162/30, 162/31(1,10,11,20,21), 162/39, 162/47, 162/56 तक मुख्य आबादी तक कुल 16 मुरब्बे अर्थाथ 4 किलोमीटर तक है। इसमें मुरब्बा नम्बर 162/31 के कि.नं. 21 ता 25 में रास्ता नहीं है। अतः आम जन के हित में उक्त रास्ता स्वीकृत किया जाना प्रस्तावित है। इसी अनुसार पटवारी हल्का द्वारा ग्रामीणजनों की उपस्थिति में फर्द मौका तैयार कर संलग्न पेश किया है व उक्त मुरब्बों का नक्शा व जमांबंदियां की प्रमाणित प्रतियां पेश की है।<br>हमने प्रकरण का गंभीरता से अध्ययन व मनन किया। राज्य सरकार द्वारा रास्ते संबंधी समस्याओं के निराकरण अभियान 2016 | |

उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणकरणसर

उपखण्ड अधिकारी लूणकरणसर

Scanned by CamScanner

के संबंध में अपने परिपत्र क्रमांक प3(2) राज–6/2013/पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 द्वारा काश्तकारान द्वारा अपने खेत पर जाने हेतु दूसरे काश्तकार की खातेदारी भूमि में से नये रास्ता चाहे जाने की समस्या यथा सार्वजनिक रास्ता राजकीय भूमि/निजी खातेदारी की भूमि में से मौके पर से स्थाई रूप से चालू परंतु राजस्व अभिलेख में किसी भी रूप में दर्ज नहीं। कई जगह कच्ची या पक्की सड़क भी बन गई है। राजकीय भूमि/निजी खातेदारी भूमि में से मौके पर स्थाई रूप से चालू एवं राजस्व नक्शें में रेखा बिंदुओं (डोटेड लाईन से) दर्ज सार्वजनिक रास्ते आदि के बारे में उक्त परिपत्र में यह समाधान दिया गया है कि अनेक स्थाई रास्ते राजकीय एवं निजी भूमि में से चालू है किंतु उनका अंकन राजस्व अभिलेख में नहीं है। स्थाई सार्वजनिक रास्ते वे हैं जो बारहमासी हैं तथा मौसम ऋतुओं अनुसार बदलते नहीं तथा आमजन के आने जाने हेतु उपलब्ध है। तहसीलदार लूनकरनसर द्वारा प्रेषित प्रस्ताव अनुसार प्रस्तावित रास्ता लगभग 30 वर्ष से चालू है जिसको नक्शें में रेखा बिंदुओं से दर्शाया गया है तथा निजी खातेदारी भूमि एवं छोटा भूखण्ड में आवंटित है। उक्त रास्ता जो बारहमासी है। मौसम अनुसार बदलते नहीं है और आमजन के आने जाने हेतु उपलब्ध है।

अतः राज्य सरकार के उक्त परिपत्र एवं राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 के तहत राजस्थान उपनिवेशन सामान्य शर्ते 1955 की शर्त 8(2) उपनिवेशन क्षेत्र होने के कारण के तहत चक 11 एमकेडी के मु.नं. 162/31 के कि.नं. 23 ता 25 एवं चक 12 एमकेडी के कि.नं. 21 व 22 में प्रत्येक किला नम्बर में 0.02–0.02 गैर मुमकिन रास्ता सृजित किया जाता है। चूंकि उक्त भूमि में से किला नम्बर 23 ता 25 खातेदार उमाराम पुत्र श्रवणराम जाति मेघवाल की खातेदारी भूमि है व किला नम्बर 21, 22 पीथाराम पुत्र गोविंदराम मेघवाल के नाम से स्मालपेच आवंटन है। अतः उक्त खातदारान के खातों में 10 बिस्वा भूमि गैरमुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। तहसीलदार राजस्व लूनकरनसर उक्त स्वीकृत रास्ते का रिकार्ड में अंकन कर मौके पर बंद रास्ता खुलवाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को प्रेषित करें।

13/8/19

उपखण्ड अधिकारी
लूणकरणसर

Scanned by CamScanner